UPCD010007652026

न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी) एक्ट, चन्दौली

उपस्थितः रामबाबू यादव, (एच.जे.एस.) **J.O. code UP-6374**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–367/2026

जितेन्द्र यादव पुत्र रमेश यादव – – – प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य – – – आपत्तिकर्ता

अपराध संख्या – 41/2026

धाराः–60/64 आब. अधि. एवं धारा 336(3) बी.एन.एस

थानाः चकिया, जिलाः चन्दौली।

दिनांकः– 11–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र यादव** की ओर से थाना चकिया, जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 अन्तर्गत धारा 60/64 आबकारी अधिनियम एवं धारा 336(3) बी.एन.एस के केस में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** दिनांक 20–02–2026 को थाना चकिया जनपद चन्दौली में वादिनी आबकारी निरीक्षक शान्ति चौरसिया द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 19–02–2026 को मैं आबकारी निरीक्षक समय 1.40 pm शान्ति चौरसिया क्षेत्र–2 चन्दौली मय हमराह हेड कान्सटेबिल विपिन शर्मा, आबकारी सिपाही मु. फुरकान, आबकारी सिपाही अरुनेश पटेल व उप निरीक्षक अवधेश यादव, उप निरीक्षक विनोद पाण्डेय तथा कान्सटेबिल सूरज कुमार हम सभी लोग पटेल चौराहा सिकन्दरपुर वाहन चेकिंग में मामूर थे कि तभी शिकायतकर्ता अभिनव पटेल द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जो कि बैरी मोड़ कम्पोजिट दुकान में विगत 15–20 दिवस से काम कर रहा था के द्वारा अपने कमरे में कम्पोजिट दुकान बैरी मोड़ शराब लाकर डायलूशन करता है एवं उसके द्वारा निर्मित की गयी शराब की बिक्री करके लाभ कमाता है जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। अभिनव पटेल की सूचना पर विश्वास कर हमराहू एवं कर्मचारीगण को अवगत कराकर योजना बनाकर एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। सरे राह गवाहान फराहन करने का प्रयास किया किन्तु भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता अभिनव को साथ लेकर अपनी अपनी गाडियों से बैरी मोड़ उक्त स्थान (जितेन्द्र यादव का कमरा) की स्थानीय लोगो से पूछताछ करके मौके पर पहुँचे तथा गेट के अन्दर मकान के ऊपरी हिस्से के दूसरी मंजिल पर बने कमरे के अन्दर से बन्द किया हुआ था दरवाजा खटखटाने पर एक व्यक्ति द्वारा खोला गया। कमरे की तलाशी के दौरान हम पुलिस वालो को देखकर व्यक्ति भागना चाहा कि हमराही कर्मचारीगण की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया। जहाँ पर कुछ ICONIC WHITE ब्रैण्ड की 11 भरी हुई शीशी (375ml) 60 खाली शीशी (375ml) एवं पुराने ढक्कन 125 पीस, Royal Stag ब्रैण्ड की 4 भरी हुई शीशी (375ml) एवं पुराने ढक्कन 38 पीस, Imperial Blue ब्रैण्ड की 4 भरी हुई शीशी (375ml) 12 खाली शीशी (375ml) एवं पुराने ढक्कन 37 पीस, Officers Choice ब्रैण्ड की 21 भरी हुई ट्रेटा पैक (180ml) एक लीटर एवं आधा लीटर बिसलेरी की बोतल में भूरे रंग की तरह तरल पदार्थ सहित लगभग डेढ लीटर, फेवीक्विक की 5 पीस, एक लीटर की बिसलेरी बोतल पानी से भरी पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम जितेन्द्र यादव s/o रमेश यादव उम्र 24 वर्ष नि0 जनपद चन्दौली बताया गया तथा भागने के बारे बताया गया कि वह मालिक के द्वारा कहने पर यह कृत करता है। पकड़े जाने के डर से भागना चाहा कि कड़ लिया गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। अभियुक्त से पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि वह करीब 15–20 दिन से कम्पोजिट दुकान बैरी मोड़ की देखरेख कर रहा है साथ ही एक और व्यक्ति है जिसका नाम अजित है व विगत दो दिवस से जितेन्द्र यादव अनुपस्थिति में

दुकान की देखरेख करता है, जो कि मौके पर नहीं पाया गया। जितेन्द्र यादव द्वारा उनके बयान में बताया गया कि वह कम्पोजिट दुकान बैरीमोड़ का CCTV कैमरा बन्द करके कुछ मदिरा छिपाकर दुकान से उठाकर कमरे पर लाता है एवं उसमें पानी मिलाकर बेचने के बाद लाभ अर्जित करता है मौके से बरामद लेकर शेष समान को अलग अलग बोरियो में एवं बिसलेरी की सभी वस्तुए का बतौर नमूना बोतल एक लीटर एवं आधा लीटर की जिसमें भूरे कलर का तरल पदार्थ एवं पानी से भरी एक बिसलेरी की बोतल को कपड़े से बाँधकर सील सर्व मोहर नमूना मोहर तैयार किया। अभियुक्त को अपराध का बोध कराकर उसकी निशानदेही पर लगभग 200 मीटर की दूरी से कम्पोजिट दुकान बैरी मोड़ का दिनांक 19–02–2026 समय 03.45pm पर गहन निरीक्षण किया गया। अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में लिया गया। कम्पोजिट दुकान बैरीमोड़ पर मदिरा के नमूने जाँच के लिये लिये गये जिन्हे मौके पर सील सर्व मोहर किया गया। दौराने कार्यवाही जनता के काफी लोग आ गए जिससे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण हट बढ़ गये। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मदिरा की शीशीयो कोई भी QR कोड नहीं पाया गया। पहचान मिटा दी गयी थी एवं बरामद् ट्रेटा पैक 21 पीस ब्रैण्ड Officers Choice मात्रा 180 उस पर QR कोड पाया गया जिसे स्कैन करने पर कम्पोजिट दुकान बैरी मोड़ का पाया गया। बिसलेरी की बोतल पाये गये भूरे रंग के तरल पदार्थ की तीव्रता मौके पर पायी गयी जो कि 42.8 प्रतिशत पायी गयी। मदिरा दुकान में गल्ले से बरामद रुपये कुल योग 73751/– रु0 को एक सफेद मारकीन के कपड़े में सील बन्दी किया गया। दुकान के अन्दर बरामद POS मशीन को सरकारी सम्पत्ति के रुप में और DVR को अपने कस्टडी में लिया जा रहा है। दोराने कार्यवाही तमाम भीड़ इकट्ठा हो गयी जिनसे घटना / जुर्म के सम्बन्ध में गवाही देने के लिए कहा गया किन्तु भलाई बुराई के कारण मौके बिना गवाही दिये हट बढ़ गये।

4. **प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः यह कथन गया है कि** वह निर्दोष है तथा लाईसेन्सी दुकान पर बैरी मोड़ कम्पोजिट दुकान पर बतौर सेल्समैन नौकरी करता है। आबकारी विभाग द्वारा नियुक्त डीपो होल्डर के यहां से प्रार्थी के स्वामी द्वारा क्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा मात्र सरकारी डीपो से प्राप्त शराब बियर का विक्रय किया जाता है। उसके द्वारा न तो कोई मिलावट किया जाता है और न ही मिलावटी शराब तैयार किया जाता है। वादी द्वारा कई दिनों से प्रार्थी से अवैध धन की मांग किया जा रहा था तथा स्वयं को क्षेत्र का आबकारी निरीक्षक होने की धमकी दिया जा रहा था जिसके अनुक्रम में दिनांक 19–02–2023 को प्रार्थी अपने किराये के मकान में बैठा था कि वादिनी अपने हमराहियों के साथ आकर फर्जी ढंग से बरामदगी दिखाते हुए प्रार्थी को चालान कर दिये है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र कहीं लम्बित नहीं है। बाद जमानत उसके पलायित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. **राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि** अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है तथा बाद गिरफ्तारी उसके पास से भारी मात्रा में शराब व शराब अपमिश्रित करने के उपकरण व शीशीया आदि सामान बरामद किया गया है जिसका उपयोग उसके द्वारा शराब अपमिश्रित कर लाभ के लिये विक्रय करने में किया जाता था। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा लाईसेन्सी दुकान बैरी मोड़ कम्पोजिट दुकान से शराब अपने कमरे पर लाने के पश्चात उसमें अपमिश्रन कर उसे लाभ के लिये बेचा जाता था। प्रार्थी/अभियुक्त के कमरे से पुलिस द्वारा दौरान गिरफ्तारी शराब की भरी हुई एवं खाली शीशीया, पुराने ढ्क्कन, बिसलेरी के बोतल में भूरे रंग का तरल पदार्थ आदि बरामद होना कहा गया है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की कथित गिरफ्तारी व उसके पास से की गई बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त लाईसेन्सी दुकान का सेल्समैन होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे गलत ढंग से बरामदगी दिखाते हुए फंसाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण अधिकतम सात वर्ष की सजा से दण्डनीय है। बरामद शराब के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना दर्शित नहीं है तथा सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 20–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना कहा गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में बिना गुण दोष पर राय व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र यादव** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रू. 50000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

दिनांकः 11–03–2026

(रामबाबू यादव)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट)
चन्दौली।
J.O. code-UP6374

स्टेनो–विकांत कुमार

Digitally signed by RAMBABOO YADAV
Date: 2026.03.11 16:35:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court